राजस्थान सरकार
जल संसाधन विभाग

क्रमांक :प.15(114)ज0सं0 / 14 जयपुर, दिनांक : 27-06-17

–: आदेश :–

राजस्थान अभियांत्रिकी एवं अनुसंधान अधिकारी सेवा (सिंचाई शाखा) नियम, 1954 के अंतर्गत सहायक अभियंता (सिविल / डिप्लोमा) की वर्ष 2014–15 की रिक्तियों के लिये दिनांक 06.02.15 को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित की गई थी। डीपीसी की विषय सामग्री में श्री लाल बहादुर मीणा, कनिष्ठ अभियंता के विरूद्ध सीसीए नियम 16 में जांच विचाराधीन होने के कारण इनकी पदोन्नति का चयन परिणाम बन्द लिफाफे में रखा गया। कार्मिक विभाग द्वारा उक्त जांच का निर्णय करते हुए आदेश दिनांक 26.05.16 के द्वारा श्री लाल बहादुर मीणा को एक वार्षिक वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है। श्री लाल बहादुर मीणा के विरूद्ध पारित दण्डादेश के कारण सहायक अभियंता (सिविल / डिप्लोमा) की वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 की रिक्तियों के विरूद्ध पूर्व में आयोजित डीपीसी को रिव्यू किया गया। विभागीय पदोन्नति समिति ने श्री लाल बहादुर मीणा का नाम वर्ष 2014–15 की चयन सूची से विलोपित किये जाने की अनुशंषा करते हुए वर्ष 2015–16 की सहायक अभियंता (सिविल / डिप्लोमा) की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नत किये जाने की अनुशंषा की है। अतः विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंषानुसार श्री लाल बहादुर मीणा, कनिष्ठ अभियंता का वर्ष 2014–15 की चयन सूची में से नाम विलोपित किया जाता है तथा इनको वर्ष 2015–16 की रिक्तियों के विरूद्ध सहायक अभियंता (सिविल / डिप्लोमा) के पद पर पदोन्नत किया जाता है। इस वर्ष पदोन्नत अधिकारियों में इनका नाम चयनित सूची में अंतिम स्थान पर एवं श्री मोहन कुमार के नीचे रहेगा।

पदोन्नति पर श्री मीणा अपने वर्तमान पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करेंगे। इनके पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जा रहे हैं।

आज्ञा से
Sd/
(आर0सी0 ढेनवाल)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, मा0 मंत्री, जल संसाधन, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जल संसाधन विभाग, जयपुर
3. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश की प्रति सभी संबंधित को अविलम्ब भिजवाने का श्रम करावें।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. संबंधित अधिकारी
6. रक्षित पत्रावली।

शासन सहायक सचिव